भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2597

दिनांक 16 दिसम्बर 2025 / 25 अग्रहारण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

पंजाब में मादक पदार्थ संबंधी स्थिति

2597. श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तिमाही में पंजाब में मादक पदार्थों से संबंधित कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और कितनी ज़ब्ती की गई हैं;

(ख) मदाक पदार्थ विरोधी प्रमुख अभियानों के परिणाम और अभियोजन की स्थिति सहित जिला-वार आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने संगठित अपराध से निपटने के लिए कोई नई तकनीक या समन्वय तंत्र अपनाया है;

(घ) प्रभावित युवाओं के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) पंजाब में अंतर-राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर चौकसी को मजबूत करने के लिए क्या योजनाएँ विद्यमान हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) द्वारा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) को दी गई सूचना के अनुसार, तीसरी तिमाही (जुलाई 2025-सितंबर 2025) के दौरान अब तक, पंजाब में मादक पदार्थ से संबंधित गिरफ्तारियों और जब्तियों की संख्या निम्नानुसार है:-

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2597, दिनांक 16.12.2025

मादक पदार्थ/ मामले/ गिरफ्तारी	2025
कुल मात्रा (किग्रा. में)	9,494
कुल मामले	8,507
कुल गिरफ्तारियां	11,400

स्रोत: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी)

(ख): जैसा कि एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स पंजाब द्वारा सूचित किया गया है, पंजाब सरकार द्वारा 01 मार्च, 2025 से "युद्ध नशें विरुद्ध" नामक एक अभियान शुरू किया गया है।

(i) आज की स्थिति के अनुसार, अभियान का परिणाम निम्नानुसार है:-

(क)	दर्ज मामले	-	26256
(ख)	अभियुक्तों की संख्या	-	38687
(ग)	हेरोइन	-	1714 किग्रा.
(घ)	अफीम	-	562 किग्रा.
(ङ)	पोस्त की भूसी	-	26698 किग्रा.
(च)	कोकीन	-	4.364 किग्रा.
(छ)	आईस	-	21.792 किग्रा.
(ज)	नशीला पाउडर	-	38.867 किग्रा.
(झ)	गोली/कैप्सूल (संख्या में)	-	4267437
(ञ)	ड्रग मनी	-	14,83,05,615/- रुपये

(ii) दिनांक 01.03.2025 से अब तक, राज्य में मादक पदार्थों के खतरे को रोकने के लिए एंटी-नार्कोटिक्स अभियान के रूप में 176 'सर्च एण्ड कॉर्डन ऑपरेशन' चलाए जा चुके है।

(iii) पंजाब में 01.01.2022 से 30.11.2025 तक जिलेवार स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों से संबंधित मामलों के फैसले और दोषसिद्धि की संख्या अनुलग्नक-I में दी गई है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2597, दिनांक 16.12.2025

(ग): सरकार ने मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन के क्षेत्र में बेहतर समन्वय और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित पहलों के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इनमें से कुछ पहल इस प्रकार हैं: -

(i) एक चार-स्तरीय नार्को-समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी) तंत्र का गठन किया गया है, जो केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करता है।

(ii) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की स्थापना की गई है, जो स्थानीय स्तर पर प्रवर्तन के लिए एनसीओआरडी सचिवालय के रूप में भी कार्य करती है।

(iii) https://narcoordindia.in/ पर उपलब्ध नार्को समन्वय (एनसीओआरडी) पोर्टल, जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के सभी चार स्तरों के स्टेकहोल्डरों और समस्त मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) सहित केंद्रीय मंत्रालयों के लिए सभी मादक पदार्थों और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का गेटवे है।

(iv) सभी डीएलईए/अन्य जांच एजेंसियों को जांच और सक्रिय पुलिस व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने के लिए, गिरफ्तार नार्को-अपराधियों से संबंधित राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (निदान) पोर्टल विकसित किया गया है। यह स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों में शामिल अपराधियों के आंकड़े प्रदान करता है।

(v) अपराध तथा अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) का उद्देश्य सभी पुलिस स्टेशनों को एक कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के तहत आपस में जोड़ना है ताकि जांच, डेटा विश्लेषण, अनुसंधान, नीति निर्माण और नागरिक सेवाएं, जैसे कि शिकायतों की रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग, पूर्ववर्ती सत्यापन के लिए अनुरोध आदि प्रदान की जा सकें।

(vi) सरकार ने 1933-मानस हेल्पलाइन शुरू की है, जिसे नागरिकों द्वारा मादक पदार्थों से संबंधित मामलों को कई संचार माध्यमों से रिपोर्ट करने के उद्देश्य से एक एकीकृत मंच के रूप में डिजाइन किया गया है।

(घ): सरकार ने पंजाब को शामिल करते हुए युवाओं सहित नागरिकों के लिए पुनर्वास सहायता हेतु विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:-

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2597, दिनांक 16.12.2025

(i) देश के सभी जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) शुरू किया गया है। इसने 8.7 करोड़ युवाओं और 6 करोड़ महिलाओं सहित 24.9 करोड़ से अधिक व्यक्तियों तक पहुंच बनाई है। पंजाब में यह अभियान, 5.47 लाख युवाओं और 4.10 लाख महिलाओं सहित 17.59 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचा है और जिसमें 11,231 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी रही है।

(ii) सरकार देश भर में 349 'नशे के आदी लोगों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्रों (आईआरसीए)' 45 'समुदाय आधारित पीयर लेड इंटरवेंशन (सीपीएलआई) केंद्रों', 76 'आउटरीच और ड्रॉप इन केन्द्रों (ओडीआईसी)' 154 'व्यसन उपचार सुविधाओं (एटीएफ)' और 139 'जिला नशा मुक्ति केंद्रों (डीडीएसी)' को सहायता प्रदान करती है। सरकार पंजाब राज्य में 07 आईआरसीए, 02 ओडीआईसी और 01 सीपीएलआई को समर्थन कर रही है।

(iii) नशामुक्ति के लिए जरूरतमंद व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल सहायता प्रदान करने हेतु एक टोल-फ्री हेल्पलाइन, 14446 चलाई जा रही है।

(iv) एनएमबीए की सहायता करने और जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने के लिए आध्यात्मिक संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(v) वर्ष 2020 में शुरू किया गया नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए), 19 नवंबर 2025 को गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर में एक भव्य राष्ट्रीय उत्सव के साथ अपने पांचवें गौरवशाली वर्ष को चिह्नित करता है। अमृतसर के कार्यक्रम में स्कूल और कॉलेज के छात्रों, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के कार्मिकों, स्वयं सहायता समूहों, आध्यात्मिक संगठनों, युवा क्लब और गैर सरकारी संगठनों सहित 10,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। देश भर से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 2,10,000 से अधिक स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में भौतिक और आभासी तरीकों के माध्यम से 6.3 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया।

(ङ): सरकार अंतर-राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए सक्रिय उपाय कर रही है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:-

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2597, दिनांक 16.12.2025

(i) आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) आधारित विशेषताओं, रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स डिवाइस, नाइट विजन डिवाइस, इंटीग्रेटेड कमांड तथा कंट्रोल सेंटर के साथ डिटेक्टरों का उपयोग करके अपग्रेड की गई सर्विलांस ग्रिड की स्थापना।

(ii) सीमा पर भौतिक अवरोध बाड़ को मजबूत करने के लिए पुराने डिजाइन की बाड़ को नए डिजाइन की बाड़ के साथ बदलना।

(iii) सीमावर्ती क्षेत्र में सैनिकों की तीव्र ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक आवाजाही के लिए पार्श्व (लेटरल) सड़क का निर्माण।

(iv) सीमावर्ती क्षेत्र में अंधेरे स्थानों को रोशन करने के लिए हाई लाइट और मास्ट लाइट लगाना।

(v) हवाई निगरानी/रेकी/तलाशी/वर्चस्व आदि के लिए ड्रोन आधारित क्षमताओं को संस्थागत बनाना।

(vi) सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से मादक पदार्थों/हथियारों/गोलाबारूद की अवैध तस्करी का मुकाबला करने के लिए ड्रोन रोधी प्रौद्योगिकी।

(vii) अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नदीय क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए वाटर क्राफ्ट/नावों और तैरते हुए बीओपी (बोर्ड ऑफ ऑपरेशंस) का उपयोग।

(viii) आसूचना (आईएनटी) नेटवर्क को मजबूत करना तथा सहयोगी एजेंसियों के साथ समन्वय।

(ix) सीमा तथा रेल मार्गों पर प्रवर्तन के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत सीमा सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा बल को शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(x) पंजाब सरकार ने अंतर-राज्यीय पुलिसिंग के लिए विभिन्न उपाय भी किए हैं, जैसे कि स्थायी और अर्ध-स्थायी नाकों की स्थापना करके चेक पॉइंट्स को मजबूत करना, नाइट विजन क्षमताओं वाले उच्च रिज़ॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर खुफिया समन्वय, मोबाइल गश्त, सामुदायिक और ग्राम सीमा निगरानी आदि।

*****

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2597, दिनांक 16.12.2025

अनुलग्नक-I

पंजाब में 01.01.2022 से 30.11.2025 तक जिलेवार स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों से संबंधित मामलों के फैसले और दोषसिद्धि मामलों की संख्या का ब्योरा

क्र.सं.	सीपी/जिला/इकाई	निर्णय दिए गए मामलों की संख्या	दोषसिद्ध मामलों की संख्या
1.	सीपी अमृतसर	1144	814
2.	सीपी जालंधर	688	604
3.	सीपी लुधियाना	1167	1052
4.	अमृतसर (आर)	1041	864
5.	बाटला	635	496
6.	गुरदासपुर	566	475
7.	पठानकोट	423	377
8.	तरन तारन	1404	1125
9.	फिरोजपुर	1226	1001
10.	फाजिल्का	568	420
11.	मोगा	1375	1068
12.	फरीदकोट	624	441
13.	बठिंडा	1169	990
14.	श्री मुक्तसर साहिब	662	496
15.	मानसा	915	767
16.	पटियाला	1373	1204
17.	संगरूर	589	519
18.	बरनाला	525	490
19.	मलेरकोटला	368	331
20.	रूपनगर	536	453
21.	एसएएस नगर	288	254
22.	फतेहगढ़ साहिब	542	516
23.	लुधियाना (आर)	880	712
24.	खन्ना	480	423
25.	एसबीएस नगर	1451	1391
26.	जालंधर (आर)	2136	1809
27.	होशियारपुर	1058	904
28.	कपूरथला	990	848
29.	जीआरपी/पीटीएल	251	137
30.	एसएसओसी/एएसआर	19	12
31.	एसएसओसी/फाजिल्का	14	10
32.	एसएसओसी/एसएएस नगर	45	45
33.	पीएस एएनटीएफ	645	577
कुल		25797	21625

स्रोत: एएनटीएफ पंजाब